डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2001—आश्विन 20, शक 1923

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ-2-11/2001/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम (भा. व. से.) वनमण्डलाधिकारी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, कांकेर, जिनकी सेवाएं वन विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बी. के. सिन्हा, कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-2, रायपुर, जिनकी सेवाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी जा रही है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2001

क्रमांक 1009/2588/साप्रवि/2001/2.—राज्य शासन तत्काल प्रभाव से श्री सरजियस मिंज, (भा.प्र.से. 78), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ 9-18/गृह/2001.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22-8-2001 को प्रश्न-पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता :—

बिलासपुर संभाग

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	कुमारी आभा टोप्पो	उप-पुलिस अधीक्षक

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ-9-28/गृह/2001.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 23 अगस्त, 2001 को प्रश्न-पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न-पत्र (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

उच्चस्तर

बस्तर संभाग

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री आनन्द जी सिंह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
2.	श्री सुन्दरलाल देवांगन	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त.
	बिलासपुर संभाग	
3.	श्री जदूबीर राम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
4.	श्री गजेन्द्र सिंह सलाम	जिला संयोजक

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2001

क्रमांक एफ 9-34/गृह/2001.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23-8-2001 को प्रश्न-पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

बिलासपुर संभाग

अनु.क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री दीपक कोसरे	सहायक भौमिकी विद्
	रायपुर संभाग	
2.	श्री एस. के. पटले	सहायक भौमिकी विद्
3.	श्री धर्मेन्द्र साय	सहायक भौमिकी विद्
4.	श्री बेन्जामिन मिंज	सहायक भौमिकी विद्

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 2223/3538/श्रम/2001.—म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायगढ़ में श्रम न्यायालय का गठन करता है. जिसकी क्षेत्राधिकारिता में राजस्व जिले रायगढ़ एवं जशपुर के स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे.

राज्य शासन श्रम न्यायालय बिलासपुर एवं श्रम न्यायालय अम्बिकापुर के क्षेत्राधिकार से क्रमशः राजस्व जिला रायगढ़ एवं राजस्व जिला जशपुर को पृथक करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2001

क्रमांक 2012/3426/श्रम/2001.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का संख्या 11) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, कर्मकार प्रतिकर के समस्त आयुक्तों को जो अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (ई)-6-96-16-ए, दिनांक 26 जून, 1998 द्वारा सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये गये थे, मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम भुगतान से उद्भूत दावों जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे दावों से अनुषंगिक समस्त मामले सम्मिलित है, की सुनवाई करने और अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.

Raipur, the 17th September 2001

No. 2012/3426/2/Lab./2001.—In exercise of the power's conferred by sub-section (i) of Section 20 of the minimum waged Act ,1948 (No. 11 of 1948), in its application to the State of Chhattisgarh the State Government, hereby appoint all Commissioners for workmen compensation, who were. Appointed vide Notification No. F-4 (E)8-96-XVI-A dated 26 June, 1998 as a Judge of Civil Court, to be authority to hear all claims arising out of the payment of less them the minimum rated of waged and including all matters incidental to such claims under sub-section (i) Section of 20 of the said Act and exercise the powers within the area of their respective jurisdiction.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रमांक 2121/3019/श्रम/2001.—म. प्र. राज्य में पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 एवं म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 2(23) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस संबंध में पूर्व प्रसारित समस्त सूचनाओं को छत्तीसगढ़ राज्य के प्रयोजन के लिए निष्प्रभावी करते हुए, निचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को उक्त अनुसूची के कालम (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) के समस्त प्रयोजनों के लिए स्थानीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करता है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	क्षेत्र (2)	अनुक्रमांक (3)	उद्योग (4)
1.	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य	1.	विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण
		2.	लोक मोटर परिवहन
2.	छत्तीसगढ़ के प्रत्येक राजस्व जिले में समाविष्ट क्षेत्र.	1.	वस्त्र उद्योग जिसे औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 23 में दर्शाया गया है.
		2.	लोहा एवं इस्पात
		3.	विद्युत सामग्री जिसमें विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण में लगाने वाले उपकरण सम्मिलित हैं.
		4.	शक्कर एवं उसके उप-उत्पादक जिसमें :— (1) शक्कर उत्पादन के साथ संलग्न कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है, एवं (2) समस्त कृषि एवं औद्योगिक कार्य जो उस उत्पादन के लिए गन्ने की पैदावार से संबंधित हो, सम्मिलित है.
		5.	चांवल मिल
		6.	तेल मिल
		7.	सिमेन्ट
		8.	पाटरीज
		9.	चूना उद्योग
		10.	प्रिंटिंग प्रेस
		11.	कागज एवं स्ट्रा-बोर्ड
		12.	एसबेस्टास सिमेंट
		13.	शैलाक (चपड़ा)
		14.	राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा चलाए जा रहे इंजीनियरिंग उद्योग को अपवर्जित करते हुए इंजीनियरिंग जिसमें मोटरयान सम्मिलित हैं.
		15.	फ्लोअर मिल
		16.	बिस्किट एवं कन्फैक्सनरी.
		17.	ग्लास (कांच)
		18.	स्टार्च
		19.	वनस्पति घी (डाईड्रोजनेटेड ऑईल)
		20.	रबर
		21.	सेरेमिक्स जिसमें उच्च तापसः वस्तुएं फायर ब्रिक्स, सेनेटरी वेयर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स, स्टोन, वेअर्स, पाईप्स, फरनेस-लाईनिंग ब्रिक्स सम्मिलित है.
		22.	केमिकल एवं केमिकल उत्पादन

(1)	(2)	(3)	(4)
		23.	नॉनमेटलिक मिनरल उत्पादन
		24.	अल्युमिनियम उद्योग
		25.	जिलेटिन उद्योग
		26.	लेदर टेनरीज
		27.	फर्टिलाइजर्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 18 में दर्शाया गया है.
		28.	ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स जिन्हें उद्योग विकास एवं विनिमय अधि-नियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 22 में दर्शाया गया है.
		29.	फर्मनटेशन जिसे उद्योग विकास एवं विनिमयन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की कंडिका 26 में दर्शाया गया है.
		30.	डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन एवं वितरण

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रमांक 2123/3677/श्रम/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 78 एवं 81 में प्रदत्त शक्तियों का तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पूर्ण कालिक कारखाना निरीक्षक नियुक्त करता है.

क्रमांक (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री रज्जु कुमार भोई	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
2.	श्री दिनेश प्रसाद मर्सकोले	सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

Raipur, 21st September 2001

No. 2123/3677/Labour/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 78 and 81 of the Madhya Pradesh reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) and powers conferred by Section 8 (1) of the Factories Act 1948 (68 of 1948), the State Govt. of Chhattisgarh hereby appoints following Assistant Director Industrial Health and Safety; full time inspector of factories for whole of the Chhattisgarh State.

S.No. (1)	Name (2)	Designation (3)
1.	Shri Rajju Kumar Bhoi	Assistant Director, Industrial Health & Safety.
2.	Shri Dinesh Prasad Marskole	Assistant Director, Industrial health & Safety.

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 2217/3469/श्रम/2001.—छत्तीसगढ़ राज्य में प्रयुक्त, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1949) की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन सलाहकार पर्षद का गठन करता है, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति :—

1. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर. — अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, रायपुर. — सदस्य
3. मुख्य अभियंता, लो. नि. वि., रायपुर. — सदस्य

(ख) नियोक्ता के प्रतिनिधि :—

1. श्री महेश कक्कड़, संगठन प्रतिनिधि, उरला इण्ड., रायपुर. — सदस्य
2. डॉ. एस. एल. शकील, बुधवारी बाजार, बिरगांव, उरला रोड, रायपुर. — सदस्य
3. श्री पी. के. दास, संगठन प्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर. — सदस्य
4. श्री अनूप गोयल, अध्यक्ष, चांवल उद्योग संघ, छत्तीसगढ़, रायपुर. — सदस्य
5. श्री के. के. आर. नायक, प्रबंधक, औद्योगिक संबंध, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमि., कोरबा. — सदस्य
6. श्री मदनलाल अग्रवाल, फैशन हाऊस, मालवीय रोड, रायपुर. — सदस्य

7. श्री हरीश केडिया, सदस्य
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ,
तिफरा, बिलासपुर.

(ग) श्रमिकों के प्रतिनिधि :—

1. श्री शरद सिदार, सदस्य
समाज सेवक एवं श्रमिक कार्यकर्त्ता,
सारंगढ़.

2. श्री अरूण कुमार चौबे, सदस्य
संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ,
रायपुर.

3. श्री हिम्मल पाटील, सदस्य
जिला बीड़ी मजदूर संघ,
राजनांदगांव.

4. श्री व्ही. के. शर्मा (इंटक) सदस्य
भारत एल्युमिनियम कंपनी,
कोरबा.

5. श्री एम. पी. पाण्डेय, सदस्य
हिन्द मजदूर किसान पंचायत,
किरन्दूल, जगदलपुर.

6. श्री धर्मराज महापात्र (सीटू) सदस्य
नूरानी चौक, राजातालाब,
रायपुर.

7. श्रीमती नीलम सोलोमन, सदस्य
महासचिव, महिला प्रकोष्ठ, इंटक,
कोरबा.

राज्य शासन न्यूनतम वेतन (म. प्र.) नियम, 1958 के उपनियम 7 (1) के अन्तर्गत उप श्रमायुक्त मुख्यालय, रायपुर को उपरोक्त पर्षद का सचिव नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. राव, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2001

क्रमांक 51/उप-सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

(दो) यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये) छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (नं. 23 आफ 1973)

Raipur, the 12th July 2001

No. 51/DS/ H & E/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2001.

(ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the law's specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of th Law's (2)
1.	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973).

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2001

क्रमांक 248/उप-सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) (i)इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

(ii) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किये जाये.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976.

(1)	(2)
2.	मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम, 1976.
3.	सह स्वामित्व भवन (कंडोमिनियम) की उपविधियां.
4.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975.
5.	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984.
6.	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975.
7.	मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988.

Raipur, the 13th August 2001

No. 248/DS/H & E/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2001.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE .

S. No. (1)	Name of the Law's (2)
1.	Madhya Pradesh Swamitwa Adhiniyam, 1976.
2.	Madhya Pradesh Swamitwa Niyam, 1976.
3.	Sah Swamitwa Bhawan (Condominiyam) ki Upvidhiyan.
4.	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 1975.
5.	Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984.
6.	Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Viksit Bhumiyon, Grahon, Bhawano Tatha Sanrachanaon ka Vyayan Niyam, 1975.
7.	Madhya Pradesh Development Authority Services Rules, 1988.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2001

क्रमांक 466/उप-सचिव/आवास/पर्यावरण/2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

(1) (i)इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

(ii) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

(2) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा अब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम प्रारूप विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975.
2.	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम, 1975.
3.	मध्यप्रदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अपील नियम, 1976
4.	मध्यप्रदेश स्टेट प्रिव्हेन्सन एण्ड कंट्रोल आफ पॉलुशन बोर्ड एण्ड इट्स कमीटिज (मीटिंग) रूल्स, 1975.
5.	वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1983.

Raipur, the 6th September 2001

No. 466/DS/H & E/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws Order, 2001.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Law's (2)
1.	Water (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1975.
2.	Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975.
3.	M. P. Water (Prevention & Control of Pollution) Appeal Rules, 1976.
4.	Madhya Pradesh State Prevention Control of Water Pollution Board and it Committees (Meeting) Rules, 1975.
5.	Air (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rules, 1983.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय, प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2001

क्रमांक 4330/स/2696/लो.नि.वि./2001.—टोल टेक्स एक्ट, 1851 (क्रमांक 8 सन् 1851) जैसा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य को लागू है की धारा 2 में सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "बिलासपुर जिले के उसलापुर दैजा मार्ग के किमी-23/4 पर नवनिर्मित धोंधा नदी पुल" पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23/4/2000/जी-19 भोपाल दिनांक 27-1-2000 में संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उदग्रहित करता है और यह भी घोषित करता है कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 31/19/84/जी/19/720 दिनांक 12-6-85 की तृतीय सूची में एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 23-2/94/जी-19, दिनांक 9-5-94 में विनिर्दिष्ट वाहनों को उक्त पथकर की देनगी से छूट रहेगी.

यह आदेश इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

Raipur, the 20th September 2001

No. 4330/S/2696/PWD/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Act, 1851 (VIII of 1851) in its application to the State of Chhattisgarh. The State Government hereby levies Toll Taxes on newly constructed "GHONGA RIVER BRIDGE situated in Km. 23/4 of Uslapur Daija Road in Bilaspur district," at the rates specified in the second schedule appended to this department's Notification No. F-23/4/2000/G-19, Bhopal, dated 27-1-2000 and declares that the vehicles specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19, dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls.

This order will be inforced with effect from the date of its publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2001

क्रमांक डी/4407/2199/21-व (छ.ग.).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार अम्बिकापुर जिला सरगुजा के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार मोहम्मद परवेज खान, अधिवक्ता अंबिकापुर सरगुजा को अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-23-7/97/25/4 दिनांक 27-3-97 के अनुसार राज्य के लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजकों को विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 60/95/21-ब (दो) दिनांक 6-7-95 के अनुरूप ही देय होगी.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2225 अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण 01 अनु. जाति अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्रमांक 49 सन् 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री महेन्द्रपाल सिंघल, सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों एवं सिविल जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है, इसका मुख्यालय रायपुर होगा :—

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	सिविल जिला (3)	राजस्व जिला (4)
1.	रायपुर	रायपुर	
2.	दुर्ग	दुर्ग	
3.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	
4.	बिलासपुर	बिलासपुर	
5.	अंबिकापुर (सरगुजा)	सरगुजा स्थान अंबिकापुर.	
6.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर स्थान जगदलपुर.	
7.	कांकेर		कांकेर
8.	दंतेवाड़ा		दंतेवाड़ा
9.	कवर्धा		कवर्धा
10.	महासमुन्द		महासमुन्द

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	कोरबा		कोरबा
12.	कोरिया		कोरिया
13.	धमतरी		धमतरी
14.	जांजगीर		जांजगीर
15.	रायगढ़	रायगढ़	
16.	जशपुर		जशपुर

Raipur, the 19th September 2001

No. D-2262/21-B/C.G.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) in consultation with Hon'ble High Court of Chhattisgarh, the State Government hereby appoints Shri Mahendrapal Singhal, VIIth Additional Sessions Judge, Raipur as Special Judge with the headquarters at Raipur for the area comprising of the Revenue District and Civil District both specified below to try the cases in regards to the offences specified in column (a) and (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation.

S. No. (1)	Name of the District (2)	Civil District (3)	Revenue District (4)
1.	Raipur	Raipur	
2.	Durg	Durg	
3.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	
4.	Bilaspur	Bilaspur	
5.	Ambikapur (Sarguja)	Sarguja at Ambikapur.	
6.	Bastar (Jagdalpur)	Bastar at Jagdalpur.	
7.	Kanker		Kanker
8.	Dantewada		Dantewada
9.	Kawardha		Kawardha
10.	Mahasamund		Mahasamund
11.	Korba		Korba
12.	Koria		Koria
13.	Dhamtari		Dhamtari
14.	Janjgir		Janjgir
15.	Raigarh	Raigarh	
16.	Jashpur		Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/68.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	भवरेली प. ह. नं. 12	1.302	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	लखाली माइनर नं. 7 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/69.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	सोंठी प. ह. नं.10	0.320	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	सोंठी डिस्ट्रीब्यूटरी निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/70.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं. 13	1.514	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	चोरिया माइनर नं. 3 के सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/71.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	अमरुवा प. ह. नं. 5	2.618	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	अमरुवा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/72.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं. 13	0.976	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	चोरिया माइनर नं. 3 के सब माइनर नं. 3 नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/73.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं.13	0.788	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	चोरिया माइनर नं. 3 के सब माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/74.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	सारागांव प. ह. नं. 9	0.215	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	पचोरी डि. ब्यु. निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/75.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	पुछेली प. ह. नं.11	0.150	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/76.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	झर्रा प. ह. नं. 12	0.729	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	लखाली मा. नं. 7 निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/77.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	सारागांव प. ह. नं. 9	0.040	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	चोरिया माइनर नं.1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/78.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	लखाली प. ह. नं. 12	1.062	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	लखाली डिस्ट्रीब्युटरी के अन्तर्गत लखाली माइनर नं. 12 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/79.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	कमरीद प. ह. नं. 4	0.048	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा. हेतु.	फरसवानी उपशाखा निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/80.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	...	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	हथनेवरा प. ह. नं. 2	0.036	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	चाम्पा शाखा नहर के व्ही. आर. व्ही. पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/81.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं. 13	1.624	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	चोरिया माइनर नं. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/82.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	हथनेवरा प. ह. नं. 2	0.514	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	घठोली माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/83.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	अफरीद प. ह. नं. 10	3.192	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर विभाग क्र. 2, चाम्पा.	अफरीद डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/84.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	सक्ती	बैलाचुवा प. ह. नं. 4	1.193	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/85.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	सक्ती	देवरी प. ह. नं. 2	1.125	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर संभाग क्र. 5,खरसिया.	जाजंग वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्ज[illegible]री, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/86.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	सक्ती	जामपाली प. ह. नं. 4	3.221	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	जाजंग वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/87.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	सक्ती	देवरमाल प. ह. नं. 4	0.987	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर संभाग क्र. 5,खरसिया.	जाजंग वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/88.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	सक्ती	बैलाचुंवा प. ह. नं. 4	2.898	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर विभाग क्र. 5, खरसिया.	जुड़गा वितरक नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/89.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अभिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	सक्ती	डोडकी प. ह. नं: 5	3.631	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर विभाग क्र. 5,खरसिया.	जुड़गा वितरक नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/90.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	सक्ती	जाजंग प. ह. नं. 5	3.249	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	जुड़गा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/91.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चाम्पा.	चाम्पा	सिवनी प. ह. नं. 3	2.740	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	फरसवानी उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक रा. मा. क्र.-9-अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	हथलेवा प. ह. नं. 59	5.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	गांगीबहरा व्यपवर्तन योजना

कवर्धा, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक रा. मा. क्र.-10-अ/82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	बरकोही प. ह. नं. 33	3.78	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	रोचन्द जलाशय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 69 अ-82/90-91.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-कनकपुर, प. ह. नं. 50

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.122 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	86	0.129
	185/15	2.266
	185/16	1.093
	185/17	0.089
	186	1.323
	197	0.125
	198	0.097
योग	7	5.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कनकपुर जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 1 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-(1) जगन्नाथपुर, प. ह. नं. 66

(2) सिन्दुरी, प. ह. नं. 66

(घ) लगभग क्षेत्रफल- (1) जगन्नाथपुर, 9.51 हे.

(2) सिन्दुरी, 0.58 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-जगन्नाथपुर	
2	0.12
3	0.47
5	1.21
7	0.24
13	0.02
46	0.11
47	0.27
49	0.08
50	0.30
51	0.03
52	0.89
53	0.08
68	0.24
69	0.31
169	0.05
170	0.10
171	0.15
175	0.98
183	0.93
185	0.14
223	0.15

	(1)	(2)
	238	0.02
	506	0.17
	508	0.06
	523	0.04
	529	0.18
	553	0.32
	554	0.04
	555	0.10
	526	0.13
	557	0.15
	785	0.02
	796	0.17
	799	1.00
	857	0.24
योग	35	9.51

ग्राम - सिन्दुरी

	662	0.06
	663	0.50
	695	0.02
योग	3	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—परशरामपुर जलाशय के बांध एवं स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 2 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-(1) जगन्नाथपुर, प. ह. नं. 66
(2) परशुरामपुर, प. ह. नं. 67
(3) सुरता, प .ह. नं. 67

(घ) लगभग क्षेत्रफल- (1) जगन्नाथपुर, 4.68 हे.
(2) परशुरामपुर, 13.96 हे.
(3) सुरता, 2.21 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम-जगन्नाथपुर	
547	0.15
553	0.32
573	0.18
575	0.01
577	0.09
582	0.04
583	0.20
586	0.25
587	0.17
595	0.03
619	0.06
644	0.17
645	0.08
646	0.13
649	0.17
650	0.02
669	0.02
670	0.20
671	0.13
676	0.20
677	0.17
678	0.04
703/5	0.18
703/6	0.18
703/7	0.05
703/12	0.02
705	0.08
706	0.01
707/2	0.01
707/3	0.31

(1)	(2)
707/4	0.01
715	0.02
718	0.08
719	0.09
720	0.20
722	0.21
769	0.40
योग 37	4.68

ग्राम – परशुरामपुर

(1)	(2)
455	0.01
457	0.12
459	0.10
460	0.04
461	0.09
462	0.02
477	0.16
478	0.07
500	0.09
503	0.01
508	0.03
509	0.02
511	0.01
512	0.15
533	0.17
534	0.01
535	0.10
538	0.13
539	0.01
540	0.12
541	0.01
542	0.09
543	0.02
553	0.04
554	0.05
555	0.08
558	0.09
561	0.13
649	0.02
651	0.14
652	0.04
653	0.06
654	0.03
655	0.04
656	0.06
657	0.09
659	0.13
741	0.12
750	0.04
751	0.12
756	0.06
757	0.10
762	0.35
764	0.10
765	0.13
776	0.01
777	0.02
778	0.36
779	0.07
781	0.02
782	0.07
858	0.22
859	0.12
860	0.01
861	0.06
869	0.20
870	0.01
871	0.07
873	0.10
906	0.01
910	0.03
911	0.10
927	0.06
928	0.06
929	0.04
930	0.01
931	0.08
932	0.02
967	0.03
968	0.03
969	0.06
970	0.07
971	0.01
974	0.05
975	0.07
976	0.02
977	0.10
979	0.06
992	0.02

(1)	(2)
995	0.12
996	0.19
997	0.12
998	0.01
1030	0.12
1231	0.05
1232	0.18
1233	0.14
1241	0.33
1242	0.02
1244	0.05
1246	0.06
1247	0.02
1248	0.40
1249	0.22
1250	0.10
1257	0.07
1258	0.15
1259	0.24
1261	0.01
1262	0.19
1263	0.15
1264	0.01
1267	0.04
1269	0.09
1270	0.04
1272	0.02
1273	0.08
1287	0.31
1385	0.10
1387	0.02
1388	0.11
1389	0.03
1391	0.01
1394	0.15
1395	0.10
1396	0.12
1397	0.02
1398	0.12
1399	0.15
1410	0.03
1413	0.01
1416	0.06
1669	0.05
1673	0.12
1674	0.26
1675	0.15
1676	0.06
1679	0.30
1680	0.10
1681	0.03
1713	0.05
1733	0.20
1734	0.02
1735	0.63
1736	0.12
1737	0.24
1738	0.16
1739	0.14
1740	0.40
1743	0.01
1746	0.05
2185	0.02
2188	0.03
1382	0.30
552	0.09
योग 145	13.96

ग्राम - सुरता

(1)	(2)
102	0.02
107	0.06
108	0.08
110	0.10
171	0.12
172	0.10
173	0.01
184	0.01
185	0.02
189	0.12
190	0.10
191	0.12
192	0.02
193	0.05
195/1	0.06
195/2	0.06
197	0.06
198	0.03
222	0.05
223	0.07
224	0.04

(1)	(2)
234	0.10
235	0.16
603	0.03
605	0.03
608	0.12
610/1	0.10
610/2	0.10
611	0.11
612	0.05
613	0.11
योग 31	2.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—परशरामपुर जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है

सरगुजा, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 3 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-सरगुजा
 (ख) तहसील-सूरजपुर
 (ग) नगर/ग्राम-कृष्णपुर, प. ह. नं. 58
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1501	0.13
1502	0.15
1508	0.09
1531	0.23
1533	0.10
1534	1.02
1535	0.09
1539	0.07
1541	0.16
1571	0.16
1573	0.17
1575	0.10
1576	0.16
1577	0.36
1580	0.19
1581	0.52
1583	0.39
1584	0.34
1585/1	0.22
1585/2	0.21
1586	0.30
1591	0.18
1592/1	0.02
1592/2	0.15
1593	0.15
1696	0.08
1697	0.21
1698	0.14
1699/2	0.09
1699/3	0.10
1700/1	0.26
1700/2	0.24
1727	0.35
1728	0.81
1729	0.08
1730	0.08
1731	0.09
1734	0.28
1735	0.03
1736	0.06
1737	0.68
1738	0.12
1739	0.12
1740	0.02
1741	0.02

(1)	(2)
1742	0.06
1744	0.05
1747	0.28
1748	0.36
1749	0.15
1750	0.06
1751	0.04
1752	0.39
1753	0.09
1754	0.11
1755	0.45
1756	0.15
1757	0.14
1758	0.10
1765	0.10
1766	0.13
1767	0.18
1768	0.47
1769	0.06
1770	0.33
1772	0.29
1773	0.33
1774	0.20
1776	0.11
1780	0.20
1781	0.18
1782	0.24
1783	0.18
1786	0.08
1787	0.06
1788	0.03
1794	0.04
1795	0.20
1796	0.13
1798	0.05

(1)	(1)
1799/1	0.17
1799/2	0.13
1800	0.33
1801	0.05
1806	0.18
1807	0.31
1808	0.08
1809	0.16
1810	0.39
1811	0.15
1812	0.24
1813	0.09
1814	0.21
1815	0.13
1818	0.21
1819	0.39
1820	0.07
1821	0.41
1822	0.05
1823	0.20
1827	0.05
1828	0.08
1829	0.50
1830	0.25
1831	0.06
1832	0.04
योग 106	20.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कृष्णपुर जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 14 सितम्बर 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/3अ-82/97-98.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-नगरी
- (ग) नगर/ग्राम-बनरौद, प. ह. नं. 64/3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
26	0.081
40/2	0.141
43/2	
44/2	
45/2	
41/1	0.061
50	0.057
41/2	0.141
46	0.121
48	0.182
योग 7	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बनरौद पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, धमतरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 80/1/भू-अर्जन/प्र.अ.वि.अ./2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कोचेरा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
32	0.93
31	0.20
26/3	0.10
26/5	0.33
26/6	0.53
27	0.35
28	0.51
29	0.14
236	0.50
237	0.12
238	0.58
232/1	0.01
233/1	0.22
233/2	0.03
239/1	0.43
234	0.55
235	0.24
229	0.09
225	0.82
220	2.10
221	0.45

(1)	(2)
226	0.62
227	0.13
252/1	0.32
278/2	0.25
280	0.33
282/1	0.29
282/2	0.67
282/3	0.29
289	0.55
290/1	0.12
290/2	0.25
290/3	0.32
290/4	0.20
293/2	0.47
293/6	0.37
294/1	0.62
294/8	0.20
294/11	0.16
294/2	0.44
294/12	0.41
294/4	0.09
294/7	0.11
294/9	0.29
294/10	0.02
294/13	0.35
317	0.10
319	0.25
320/1	0.86
320/2	0.03
321	1.05
322	0.13
योग	19.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 80/2/भू-अर्जन/प्र.अ.वि.अ./2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-फरदडीह, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.83 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
262	0.22
261/2	0.27
260	0.02
270	0.06
259	0.30
271	0.30
288	0.24
289/1	0.28
284	0.14
योग	1.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 80/3/भू-अर्जन/प्र.अ.वि.अ./2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मुढ़िया, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.91 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1223	0.17
1213	0.01
1224	0.02
1219	0.45
1220	0.23
1222	3.40
1214	0.52
1216	0.18
1206/4	0.10
1208	1.48
1206/5	0.35
योग	6.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 80/4/भू-अर्जन/प्र.अ.वि.अ./2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़खुसरा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
421/1	0.45
421/2	0.04
421/3	0.55
421/4	0.79
793	0.20
800	0.09
803	0.13
804	0.10
794	0.07
795	0.07
801	0.35
802	0.15
809	0.22
820	0.06
810	0.15
821	0.27
815	0.01
835	0.08
841	0.01
1202	0.14

(1)	(2)
838	0.03
837	0.24
839	0.23
840	0.03
819	0.10
844	0.04
845	0.12
1073/1	0.14
1074	0.12
1075	0.04
1132	0.39
1131	0.14
1130	0.19
1151	0.23
1141	0.05
1152	0.25
1066/3	0.23
1158	0.05
1165	0.60
1178	0.32
1177	0.30
1066/1	0.17
1176	0.12
1201	0.28
1205	0.01
1206	0.22
1210	0.24
1211	0.15
1175/2	0.02
1086/2	0.10
1159/1	0.13
1162/2	0.01
योग	9.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 80/5/भू-अर्जन/प्र.अ.वि.अ./2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भीमकन्हार, प.ह.नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.48 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
703/1	1.05
703/2	0.33
706/2	0.09
706/5	0.44
706/3	0.22
706/4	0.31
704	0.24
705	0.35
1487/3	0.70
1488/1	0.55
1491	0.01
1489	0.92
1490/1	0.27
योग	5.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2001

क्रमांक 80/6/भू-अर्जन/प्र.अ.वि.अ./2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मुडखुसरा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-36.91 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
355	0.40
356	1.53
353	0.60
360	0.10
333	0.20
328	0.45
318	0.02
332/1	0.30
332/2	0.20
330	0.98
331	0.01
329	0.05
306	0.04
327	0.70
323	0.25
242	0.07
325	0.34
149	0.33
315	0.07
316	0.30
317	0.15
314	0.65
313	0.05
241/1	0.02
240	0.25
244	0.60
545	0.44
245	0.62
246	0.26
208	3.80
207	1.41
421/3	2.37
421/2	0.44
424	0.05
196	0.34
197	0.02
205	0.65
203	0.25
204	0.29
202/1	1.63
123	1.98
183	0.15
185	0.12
121	0.90
64	2.75
20	0.98
143	0.45
144	0.17
146	0.29
156	0.50
147	0.06
148	0.40
324	0.61
155	1.04
154	0.02
546	0.16
548	0.20
547	0.20
549	0.14
550	0.68
236	0.60
122/1	0.13
145/1	0.48
122/2	0.47
145/2	0.70
184/1	0.05
184/2	0.52

(1)	(2)
184/3	0.43
19	0.02
241/2	0.25
241/3	0.23
योग	36.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2001

क्रमांक क./ख.लि./2001/322 .—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अन्तर्गत चूना पत्थर खनिज के लिये सूची में दर्शाये क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिये उपलब्ध रहेगा. आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् व आवेदित क्षेत्र चूना पत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

अ. क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	मंदिर हसौद	73	रायपुर	653 का टुकड़ा	3.20 एकड़	श्री ईश्वरलाल पटेल के नाम से दिनांक 5-6-92 से 4-6-2002 तक स्वीकृत रहा. निरस्त किया गया.

जे. मिंज,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 18 सितम्बर 2001

क्रमांक 3061/मा. चि./2001 .—म. प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिये भट्टी में डालकर उपभोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टे पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेधारी का नाम	ग्राम का नाम प.ह.नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री अश्वनी कुमार मिश्रा.	नवागांव प.ह.नं. 25	राजनांदगांव	260/1 भाग	3.25 एकड़	चूना पत्थर	शा. भूमि	उत्खनि पट्टा अनुबंध निष्पादित नहीं होने के कारण.
2.	श्रीमती अल्का मुदलियार, राजनांदगांव.	जोराताराई	राजनांदगांव	164	3.30 एकड़	चूना पत्थर	शा. भूमि	उ. प. व्यपगत घोषित होने के कारण.
3.	मे. महावीर मिनरल, दुर्ग.	चंवरढाल प.ह.नं. 11	राजनांदगांव	391/1 भाग	3.25 एकड़	चूना पत्थर	शा. भूमि	—,,—
4.	श्री अर्जुन लोहाणी सा. लालबाग, सिंधी-कालोनी, गली नं. 4, राजनांदगांव.	नवागांव प.ह.नं. 25	राजनांदगांव	260/1	4.40 एकड़	चूना पत्थर	शा. भूमि	—,,—
5.	श्री अशोक गुप्ता, राजनांदगांव.	रामपुर प.ह.नं. 48/5	डोंगरगांव	100/1, 101	1.10 एकड़	फर्शी-पत्थर	भूमिस्वामी	—,,—
6.	श्री कुलदीप सिंह भाटिया, सा. बसंतपुर, राजनांदगांव.	बनहरदी प.ह.नं. 5	डोंगरगांव	325/1, 2	0.55 एकड़	चूना-पत्थर	भूमिस्वामी	उत्खनि पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण.
7.	महाराणा मिनरल, राजनांदगांव.	डुमरडीहकला प.ह.नं. 12	राजनांदगांव	35/2	1.70 एकड़	चूना-पत्थर	भूमिस्वामी	—,,—

दिनेश कुमार श्रीवास्तव,
कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 1 सितम्बर 2001

क्रमांक 13946/सा.लि./2001 .—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का संख्यांक 59) की धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं आई.सी.पी. केशरी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 06 पर दुर्ग से राजनांदगांव अथवा राजनांदगांव से दुर्ग की ओर शिवनाथ नदी के पुराना पुल पर से अपने अधिकारिता के भीतर सार्वजनिक सुरक्षा सुविधा की दृष्टि से पुल के जीर्ण होने के कारण सभी भारी वाहनों का इस पुल पर से आवागमन को प्रतिबंध किया जाता है.

नियम 217 के तहत पुल की स्थिति को ध्यान में रखते हुये हल्के वाहनों के इससे गुजरने के लिये गति सीमित किया जाना अपरिहार्य हो गया है. अतएव पुराना शिवनाथ नदी पुल पर हल्के वाहनों की गति सीमा 20 कि. मी. प्रति घण्टा निर्धारित की जाती है.

आई. सी. पी. केशरी,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

OFFICE OF THE COLLECTOR KORBA (CHHATTISGARH) AND EX-OFFICIO DY. SECRETARY LAW DEPARTMENT

Korba, the 17th July 2001

No.C/DGC/9356.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (XV of 1872) the Collector and Ex-officio Dy. Secretary Law Department is pleased to grant a licence to Mr. Jameswat Kanwar, Paster, Christian Community Menonite Church SECL Subhash Block Korba in Korba district.

(1) to solemnise marriage and
(2) to grant certificates of marriage.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJKAMAL, Collector and Ex-officio Dy. Secretary.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

बस्तर, दिनांक 6 अक्टूबर 2001

क्रमांक 644/जि. श. वि.अभि./सीमा वृद्धि जगदलपुर/2001 .—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम ,1961 की धारा 5-क के अन्तर्गत निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व गठित नगरपालिका परिषद् जगदलपुर की सीमाओं में पूर्णत: विस्तार करने हेतु नगरपालिका सीमा से लगे तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर के राजस्व ग्राम सरगीपाल/अघनपुर/कंगोली/हाटकचोरा/ करकापाल/आसना/कोहकापाल/धरमपुरा/फ्रेजरपुर/ जगदलपुर (देहात)/पखनागुड़ा को नगरपालिका परिषद् जगदलपुर की सीमा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है.तद्नुसार सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस आशय के साथ प्रकाशित की जाती है कि इस संबंध में यदि किसी को आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो प्रकाशित दिनांक से 45 दिवस तक कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. निधारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋचा शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.